निगरानी प्रकरण कमांक ..../17
प्रस्तुति दिनांक : 20.12.17

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इंदौर

PBR/निगरानी/बुरहानपुर/भू.रा/2018/0206

दरगाह ए हकीमी बुरहानपुर
तर्फे प्रबंधक जूजरभाई पिता नजीमुद्दीन पटनावाला
आयु 52 वर्ष धंधा नौकरी
निवासी ग्राम लोधीपुरा शहर व जिला बुरहानपुर .... प्रार्थी

वि रू द्ध

म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार बुरहानपुर ....प्रत्यर्थी

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 (1) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत्

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि :–

प्रार्थी द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर द्वारा अपील प्रकरण कमांक 124/17–18 में पारित आदेश दिनांक 13–11–2017 से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/बुरहानपुर/भूरा/18/0206

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–11–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण होना सिद्ध पाते हुये उसे हटाये जाने का आदेश दिया है, जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखा गया है, अधीस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	